

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूजाईही संख्या : UPFS/2023/84466/KPN/KANPUR NAGAR/2194/CFO

दिनांक : 31-05-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स MAHARISHI VIDHYA MANDIR प्रका ARAZI NO 914-915-918-919-920-921-922-928-930-930, BINGAWAN, KANPUR NAGAR तहसील - GHATAMPUR काट एरिया 23290.00 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 1583.22 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 2 जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK A	3	0	10.95 mt.
BLOCK B	3	0	10.95 mt.


हे। भवन का अधिभोग मेसर्स MAHARISHI VIDHYA MANDIR द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एनओसी/एनओसी पर तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईओएसओ के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 13-06-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री NAME - NEERAJ SRIVASTAVA EMAIL - mvmkanpur@mssmail.org MOBILE - 9415784285 के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयीं। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एनओसी/एनओसी की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 13-06-2023 से 12-06-2026 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जाएगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में जारी गये कर्मों के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स MAHARISHI VIDHYA MANDIR अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगी। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा, जिसके लिए मेसर्स MAHARISHI VIDHYA MANDIR अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगी।

Note : Premises is in Operational since long, Hence, NOC is Issued as per NBC-2016 Norms for (G+2) FLOOR ONLY on Recommendations of FSSO K-5:

- 1.To Comply as per UP Fire & Emergency Services Act 2022.
- 2.To Maintain All Fire System in Operational mode Always with DG Supply.
- 3.To Maintain all Stairs and Keep free Access to All Exits Always and Electrical Safety Audit is Mandatory.
- 4.To Submit Operational Certificate of Fire System on Half Yearly Basis and deploy Fire Officer as per the provisions of Act 2022.
- 5.Issued NOC will be Cancelled Automatically In case of any deviation in above Conditions and for any False Information / Inspection Report.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 13-06-2023
स्थान : KANPUR NAGAR


18/06/23
PRINCIPAL
MAHARISHI VIDYA MANDIR
BINGAWAN, HAMIRPUR ROAD
KANPUR-208021



मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(द्विजित रूप से हस्ताक्षरित)
DEEPAK SHARMA

B718C8D890E841A82E9C51C61AA329ECEC704410

13-06-2023

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.